नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

भाग – एक

1 **प्रारम्भिक:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1-378/81-फिन(एल°ए°) खण्ड–IV, दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर निम्न वर्णित कार्यरत रहे :-

(i) **अध्यक्ष :-**

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमती बिमला मलिक	01.04.2022 से 31.03.2023

(ii) **सचिव /आहरण व वितरण अधिकारी :-**

क्रम सं.	नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री मुकेश कुमार (तहसीलदार चौपाल, अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2022 से 30.06.2022
2	श्री अनिल चौहान, सचिव	01.07.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2023 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	7.1	491.78
2	अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	7.2	44.61
3	आय के विभिन्न शीर्षकों की वसूली हेतु शेष	8, 9.1, 10.1	80.20
4	श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	13.1	7.89
5	हि.प्र.वेतन संशोधन नियम 2022 के लाभ का अनियमित भुगतान करना	13.3	2.36
6	नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के नियुक्तिया करने के कारण अनियमित व्यय करना	13.4	24.02
7	प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर निर्माण कार्य का निष्पादन करना	17.1	16.25
8	संविदाकारों के बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी) को सम्बंधित विभाग में जमा न करना	18	2.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **(परिशिष्ट-"1")** पर दर्शाई गई हैं । प्राय: यह देखने में आया हैं कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। अत: नगर पंचायत प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरो का निस्तारण संभव हो सके ।

भाग – द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 13.03.2024 से

27.03.2024 तक श्री कविन्द्र कंवर,अनुभाग अधिकारी तथा श्री तरुण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय में किया गया । विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय के लिए मास **03/23** एवं व्यय के लिए मास **07/22** का चयन किया गया।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि°प्र°, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, नगर पंचायत चौपाल द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

3. अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क आँका गया। सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ₹19800/- ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि०प्र०राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 22 दिनांक-27.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4. वित्तीय विवरणियां:-

4.1 वित्तीय विवरणियां अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना-

नगर पंचायत अधिनियम, 1994 व नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार,नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-19 दिनांक 22.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत नही किया गया, जिस कारण लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका, केवल रोकड़ बही का सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा किया गया।

क्रम	**वित्तीय विवरणी**	**प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई**
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)	प्रस्तुत नही की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत नही की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नही की गई

4	प्राप्ति एवम भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत नही की गई
5	तलपट (Trial Balance)	प्रस्तुत नही की गई
6	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नही की गई
7	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नही की गई

4.2 दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III- 3332-3379 Dt.25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III- 9337-9385 Dt. 07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt.19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए, किन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है ।

अंकेक्षण के दौरान इस बारे वस्तुस्तिथि स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-19 दिनांक 22.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत: निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

5. वित्तीय स्थिति :-

(क) अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान सामान्य निधि रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति

(परिशिष्ट- 2):-

वर्ष	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (बचत खाता + सावधि जमा)	कुल	वर्ष के दौरान भुगतान	अंत शेष
2022-23	स्व: स्त्रोत	10018669.49	1149404	1429788	12597861.49	278654	12319207.49
	अनुदान	41340547	21806521	0	63147068	13968200	49178868
	कुल	**51359216.49**	**22955925**	**1429788**	**75744929.49**	**14246854**	**61498075.49**

(ख) दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में ₹234538.49/-(₹61498075.49-61263537.00) का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है **(परिशिष्ट-2)**:--

विवरण	**राशी**
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्थिति अनुसार अंत शेष	**61498075.49**
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष	61263537.00
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही अनुसार अंतर	234538.49
अंतर का विवरण	
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष	61263537.00
जमा: गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 04/19 से 03/22) पैरा सं० 4(ख) अनुसार अंतर	328890
जमा: अंकेक्षण उपरांत दिनांक 31/03/22 को रोकड़ बही में दर्ज भुगतान	23001.44
घटाव: अंकेक्षण उपरांत दिनांक 31/03/22 को रोकड़ बही में दर्ज प्राप्तियां	117354.41
जमा: पूर्णांक राशि	1.46
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्थिति अनुसार अंत शेष	**61498075.49**

(ग) दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में **₹477610.42 (बैंक में अधिक जमा)** का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से **(परिशिष्ट-2)**है:-

दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्थिति अनुसार अंत शेष	***61498075.49***
दिनांक 31/03/2023 को बैंक अनुसार अंत शेष	*61975685.91*

दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्थिति व बैंक अनुसार अंतर	477610.42

(घ) दिनांक 31.03.2023 तक बैंक बचत खातों में जमा राशि व सावधि जमा का विवरण (परिशिष्ट-3) :-

बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
UCO Bank a/c No. 04110100008360	8575935.90
UCO Bank a/c No. 04110100008060	1386606.75
UCO Bank a/c No. 04110100003793	5502117.35
HDFC Bank a/c No. 50100159479258	7182604.60
HDFC Bank a/c No. 50100427921347	27211.31
HDFC Bank a/c No. 50100528800176	2560758.00
HPSC Bank a/c No. 40510105738	1358281.00
HPSC Bank a/c No. 40510115153	11654234.00
HPSC Bank a/c No. 40510115106	15881932.00
HPSC Bank a/c No. 40510115070	17999.00
HPSC Bank a/c No. 40510115069	814.00
HPSC Bank a/c No. 40510115073	4785.00
HPSC Bank a/c No. 40510115071	4677092.00
HPSC FDR a/c No. 79	1413215.00
NULM a/c No. 50100468484571 (State Nodal Account)	5000.00
SBM a/c 50100453093551 (State Nodal Account)	1100000.00
PMAY a/c No. 125501410042885 (State Nodal Account)	627100.00
Total	**61975685.91**

(ङ) रोकड बही व बैंक खातों में ₹4.77 लाख के अन्तर का समाधान न करना :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के पैरा 5 (ग) के अनुसार रोकड बही व बैंक खातों में दिनांक-31.03.2023 को **₹477610.42** का अन्तर था। इस अंतर की राशी बारे वस्तुस्तिथि स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः

परामर्श दिया जाता है कि इस अनियमितता बारे प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए तथा विस्तृत पड़ताल के उपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(च) अंकेक्षण समाप्ति उपरांत दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ बही में ₹1.40 लाख की प्रवष्टियां करना:-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की पड़ताल के दौरान पाया कि पृष्ठ संख्या 177 पर अंकेक्षण अधिकारी द्वारा गत अंकेक्षण अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 से सम्बंधित प्रविष्टियाँ पूर्ण होने की सत्यापन दर्ज थी परतु वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-4** अनुसार रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 178 पर दिनांक 31.03.2022 दर्ज कर ₹140355.82 (प्राप्तियां: ₹117354.41 + व्यय: ₹23001.41) की प्रविष्टियाँ दर्ज थी जो की एक गंभीर अनियमितता है। इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अंत: या तो इस बारे पूर्ण अभिलेख सहित वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा यह प्रकरण उचाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित करवाई हेतु लाया जाए ।

6 **सावधि निवेश :-**

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-"5"** द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक ₹1413215/- की राशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई थी, जिसका विवरण निम्न भी दिया गया है। अत: सावधि जमा राशि परिपक्वता तिथि को भुनाना अथवा पुन: निवेश करना सुनिश्चित की जाए ।

सावधि जमा का विवरण	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि (₹)**	**ब्याज दर (%)**	**निवेश की अवधि**	**निवेश की दिनांक**	**परिपकता राशि (₹)**	**परिपकता ब्याज (₹)**
HP State Co-Op. Bank TDR/ 1693687	04.10.2019	1413215	6.25%	4-Year	04.10.2023	1811100	397885

7. **अनुदान :-**

सचिव, नगर पंचायत चौपाल, द्वारा अंकेक्षण को ***यथा परिशिष्ट- "6"*** *पर उपलब्ध करवाए* गए विवरण का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

7.1 दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹491.78 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण **परिशिष्ट** "6" द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 को **₹49178868/-** की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 2023-24-न०प०-चौपाल-06-01 दिनांक- 27.03.2024 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक को भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः इन अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर व्यय किया जाए अथवा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था।

7.2 अनुदानों से संबन्धित ₹44.61 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:

परिशिष्ट "6" में वर्णित GIA से सम्बन्धित विवरण की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों से ₹**11468200**/- व्यय किए गए थे तथा जिसमें से केवल ₹**7007603**/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जबकि निम्नविवरणानुसार व **परिशिष्ट- "6"** में वर्णित विवरण अनुसार शेष व्यय ₹**4460597**/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 2023-24-न०प०-चौपाल-06-01 दिनांक- 27.03.2024 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक को भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं व जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना अंकेक्षण को करवाई जाए।

व्यय किए गए अनुदानों की राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का विवरण:-

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों व्यय की गई राशि	**11468200**
व्यय की गई राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किए गए	**7007603**
GIA की व्यय की गई राशि जिसके संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए	**4460597**

8 यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन (Door to Door Garbage Collection) रसीदों के अंतर्गत प्राप्त आय को बैंक में जमा न करके रोकड़ ₹1.58 लाख का संभावित गबन/दुर्विनियोंजन बारेः-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्वेज कलेक्शन की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान प्राप्त आय ₹239800/- को न तो रोकड़ बही में लिया गया था और न ही बैंक खाते में जमा करवाया गया था जोकि रोकड़ के गबन/दुर्विनियोजन को दर्शाता है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान डोर-टू-डोर की प्राप्ति से संबंधित रसीदों, रोकड़ बही व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया की गत अंकेक्षण प्रतिवदेन अनुसार प्राप्त राशी ₹239800/- में से निम्न विवरण अनुसार केवल ₹81550/- की राशी ही बैंक में जमा करवाई गयी थी। परन्तु निम्न विवरणानुसार ₹158250/- की राशि जो जमा ही नहीं करवाई गई हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Receipt Book @50 Per receipt						Receipt Book @100 Per receipt					
	Receipt Book No.	Dated	Amount Collected but not deposited as pe Last Audit Report	Amount Deposited during Current Audit Period	Amount Outstanding as on 31/03/23	Remarks	Receipt Book No.	Dated	Amount Collected but not deposited as pe Last Audit Report	Amount Deposited during Current Audit Period	Amount Outstanding as on 31/03/23	Remarks
1	2001 to 2100	16.1. 20 to 23.1.20	5000	5000	0	Amount Deposited Vide G-8 N0. 5818/ 08-11-22 CBP- 195	3501 to 3600	19.1.20 to 23.6.20	10000	10000	0	Amount Deposited Vide G-8 N0. 5903/ 27-03-23 CBP- 05 Receipt no. 3699 & 3700 found blank with their original receipt
2	2101 to 2200	23.1.20 to 12.2.20	5000	5000	0		3601 to 3700	1.4.20 to 23.6.20	9800	6300	3500	
3	2201 to 2300	15.2.20 to 30.3. 20	5000	5000	0		3701 to 3800	24.6.20 to 12.11.20	10000	0	10000	
4	2301 to 2400	30.3.20 to 30.6.20	5000	5000	0		3801 to 3900	23.10.20 to 12.11.20	10000	0	10000	
5	2401 to 2500	30.3.20 to 31.8.20	5000	5000	0		3901 to 4000	13.11.20 to 18.12.20	10000	0	10000	
6	2501 to 2600	31.7. 20 to 31.3.20	5000	5000	0		4001 to 4100	12.12.20 to 22.1.21	10000	0	10000	
7	2601 to 2700	3.7.20 to 31.6.20	5000	5000	0		4101 to 4200	10.2.21 to 20.3.21	10000	0	10000	
8	2701 to 2800	31.3.20 to 31.3.20	5000	5000	0		4201 to 4300	20.3.21 to 6.4.21	10000	0	10000	
9	2801 to 2900	1.3.20 to 1.3.20	5000	5000	0		4301 to 4400	9.1.20 to 2.1.21	10000	0	10000	
10	2901 to 3000	8.1.20 to 3.1.21	5000	5000	0	Amount Deposited Vide G-8 N0. 5820/ 14-11-22 CBP- 195	4401 to 4500	8.1.20 to 1.1.21	10000	0	10000	
11	3001 to 3100	1.4.21 to 1.4.21	5000	5000	0		4501 to 4600	9.1.20 to 2.1.21	10000	0	10000	
12	3101 to 3200	2.4.21 to 2.4.21	5000	5000	0		4601 to 4700	7.4.21 to 3.7.21	10000	0	10000	
13	3201 to 3300	3.4.21 to 3.5.21	5000	0	5000	Amount Deposited	4701 to 4800	3.7.21 to 23.8.21	10000	0	10000	

14	3301 to 3400	3.4.21 to 5.6.21	5000	5000	0	Vide G-8 N0. 5903/ 27-03-23 CBP- 05	4801 to 4900	4.9.21 to 19.10.21	10000	0	10000	
15							4901 to 5000	5.12.19 to 6.12.19	10000	0	10000	
16							5001 to 5100	14.12.21 to 16.2.22	10000	0	10000	
17							5101 to 5200	23.3.22 to 8.4.22	10000	0	10000	
	Amount Outstanding as on 31/03/23 (5000 + 153500) =158500/-										158500	
	Less: Amount that should be collected vide Receipt Book No. 2901 to 3200 : ₹15000 Amount Actually Deposited vide G8- No. 27-03023- ₹15250 (15250-15000)										250	
	Amount Outstanding as on 31/03/23										158250	

अंकेक्षण के दौरान यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के संदर्भ में रसीद बुक के सरंक्षण, जारी करने व रोकड़ की प्राप्ति के सन्दर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गई –

I. डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त आय हेतु न तो किसी भी प्रकार के रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया है और न ही रसीदों की प्राप्ति व जारी करने सम्बन्धी रसीदों के स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया जिस कारण अंकेक्षण के दौरान यह संभव नही हो पाया है कि कुल कितनी रसीदें मुद्रित व कितनी रसीदें यूजर चार्जेज कलेक्शन हेतु जारी की गई ।

II. रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ₹50 व ₹100 प्रति रसीद मूल्य की रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किये गये कि कितनी रसीदें ₹50 प्रति रसीद मूल्य व कितनी ₹100 प्रति रसीद मूल्य की मुद्रित व जारी की गई थी, जिस कारण वर्णित तथ्यों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी।

III. नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन से प्राप्त आय हेतु किसी भी प्रकार के रजिस्टर का अनुरक्षण नही किया गया है ।

IV. यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के संदर्भ में जारी की गई रसीदों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया है।

V. जारी की गई रसीदों में कटिंग व रसीदों में उल्लेखित दिनांक में भी त्रुटियाँ पाई गई ।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह स्पष्ट नही हो सका कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुक को प्रिंट व प्रयोग किया गया तथा कितनी राशि वास्तव में यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के सन्दर्भ में प्राप्त की गई थी ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17 दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन योजना के अंतर्गत कितनी प्राप्ति हुई तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 9 पर की करवाई से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया था, जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने अंकेक्षण को अवगत करवाया के अंकेक्षण अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन योजना के अंतर्गत कोई वसूली नहीं की गई थी तथा बकाया राशी की वसूली शीघ्र करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार इस सन्दर्भ में विशेष करवाई करने का सुझाव दिया गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि तक भी कोई विशेष करवाई इस सन्दर्भ में अमल में नहीं लायी गयी थी ।

अंत: इस मामले में विभागीय स्तर पर विस्तृत पड़ताल करके वर्णित अनियमिताओं के संदर्भ में अब विशेष कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 गृह कर:-

9.1 दिनांक- 31.03.2023 तक ₹42.88 लाख गृह कर की वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 को ₹4288289/- वसूली योग्य शेष थी, जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-"7"** अनुसार दिया गया हैं। निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं.यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक- 20.06.2001 के अनुसार करों की शत-प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी। अत: निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही वर्णित राशि की वसूली हेतु अति शीघ्र ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9.2 गृह कर / संपति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment list) में हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करना :-

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत हाऊस टैक्स/संपति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment List) में वर्तमान स्थिति अनुसार आवश्यक सशोंधन किया जाना अपेक्षित है । नगर पंचायत चौपाल द्वारा अपने परिधि क्षेत्र में गृह कर / संपति कर दिनांक 01.04.2000 से अधिरोपित किया गया था तथा इस प्रकार उक्त वर्णित धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्ष के उपरांत वर्ष 2005-06 से व तदोपरान्त

प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन किये जाने अपेक्षित थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है । अत: उपरोक्त वर्णित नियमों की अनदेखी करके नियमित समय पर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार जमीन की वर्तमान कीमत, निर्माण कार्य की वर्तमान लागत के आधार पर गृह कर का तुरन्त निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

पैरा संख्या 10.1 व 10.2 में दर्ज अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन 17 संख्या दिनांक 19.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को वस्तुस्तिथि स्पष्ट करने का आग्रह किया था जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने अंकेक्षण बकाया राशी की वसूली शीघ्र करने तथा गृहकर का नियमानुसार निर्धारण करने का आश्वाशन दिया ।

10 दुकानों के किराये से आय:-

10.1 दुकानों का किराया ₹35.79 लाख वसूली हेतु शेष :-

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार ₹**3579411**/- दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे। जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-" 8"** तथा निम्न विवरण अनुसार दिया गया हैं तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में न लाने के कारण वसूली हेतु बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है । अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	3338879	447732	3786611	207200	3579411

10.2 दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.37 लाख के राजस्व की हानिः-

अंकेक्षण के दौरान दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नही की जा रही थी जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी । अंकेक्षण को **परिशिष्ट- "8"** द्वारा उपलब्ध करवाई सूचनानुसार, नगर पंचायत की अवधि-2022-23 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल प्राप्ति ₹207200/- पर देय GST 18% ₹37296/- की वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए नगर पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नही की गई जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	प्राप्ति पर देय GST 18% (₹)
2022-23	207200	37296

10.3 दुकानों के किरायदारों के साथ अनुबन्धों का कार्यान्वयन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के आबंटन से संबन्धित अभिलखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानों के आबंटियों के साथ नगर पंचायत द्वारा आबंटन तिथि से ही अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया है यदि अगर किया गया है तो वर्तमान अंकेक्षण अवधि से पूर्व अनुबंध कार्यान्वयन समाप्त हो चूका है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार किराये का अनुबन्ध दुकान आबंटन की तिथि से तथा तदोपरान्त अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार पर या नवीनीकरण की देय तिथि पर किया जाना आवश्यक है ताकि पंचायत के हितों को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

पैरा संख्या 11.1 से 11.3 संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 17 दिनांक-19.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः सभी दुकानों के

किरायेदारों के साथ किराये से संबंधित अनुबंध का कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

11 **अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब उप-कर की प्राप्त राशि ₹0.76 लाख की पड़ताल हेतु सम्बंधित आवश्यक विवरण प्राप्त न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.–एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उप-कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है I अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान नगर पंचायत को **₹76077/-** आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप-कर के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त राशि किस अवधि के शराब बिक्री की एवज में प्राप्त हुई, इसका विवरण अभिलेख में संलग्न नहीं था जिसे आबकारी विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 17 दिनांक- 19.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अत: परामर्श दिया जाता हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त अवधि में प्राप्त शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सकें ।

12 **अंकेक्षण अवधि के दौरान बिजली बोर्ड से बिजली उप-कर प्राप्त न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा- 69 के अनुसार, नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उप-कर हि.प्र.बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना आपेक्षित हैं । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल को अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान बिजली उप-कर के रूप में कोई प्राप्ति नहीं हुई है ।

इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 17 दिनांक- 19.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से देय राषि की वसूली सुनिष्चित कर जाए तथा वसूली से सम्बन्धित आवष्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित करके अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

13 संस्थापनाः-

13.1 श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में ₹7.89 लाख का अधिक भुगतानः-

सचिव नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय आदेश संख्या सचिव-एन0पी0-98-710 दिनांक 25.11.1998 द्वारा श्री राजिन्द्र सिंह झारटा की लिपिक के पद पर दिनांक 1-4-98 से वेतनमान ₹3120-5160 में नियुक्ति की गई थी। श्री राजिन्द्र सिह झारटा का दिनांक 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों ₹5910-20200+1950 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित किया गया था परन्तु सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2009 के अन्तर्गत श्री राजिन्द्र सिंह झारटा, लिपिक का वेतन 1.1.06 से पे बैंड ₹5910-20200+1900 ग्रेड पे निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु सेवा पुस्तिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गिया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	दिनांक / विवरण	1.1.06 को असंशोधित वेतनमान से मूल वेतन	1.1.06 को नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो निर्धारित होना चाहिए था	1.1.06 से सेवा पुस्तिका में दर्ज / निर्धारित संशोधित मूल वेतन	1.1.06 से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
1	1.1.06	4020	9380 (7480+1900)	9880 (7930+1900)	9380 (7480+1900)
2	1.4.06 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4140	9670 (7770+1900)	10180 (8230+1950)	9960
3	1.4.06 (आठ वर्ष के उपरान्त ए0सी0पी0एस0)	4260	10010 (8060+1950)	10180 (8540+1950)	9960
4	1.4.07 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4400	10310 (8360+1950)	10490 (8860+1950)	10260
5	1.4.08 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4550	10620 (8670+1950)	10810 (9190+1950)	10570
6	1.4.09 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4700	10940 (8990+1950)	11140 (9530+1950)	10890 (1.10.09 =12350)

7	1.4.10 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	11270 (9320+1950)	11480 (9880+1950)	12720
8	1.4.11 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	11610 (9660+1950)	11830 (10240+1950)	13110
9	**1.4.12 (वार्षिक वेतन वृद्धि)**	–	**11960 (10010+1950)**	12190 (10240+1950)	13110 (1.8.12= 13510, 1.10.12= 15210)
10	1.10.12 (संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने पर)	–	13500 (10300+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15210 =(11610+3600)
11	1.10.13 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	13910 (10710+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15670 (12070+3600)
12	1.10.14 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16140 (12540+3600)
13	1.4.2015	–	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
14	1.10.15 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
15	1.4.2016	–	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)
16	1.10.16 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	15210 (12010+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)
17	1.4.2017	–	15210 (12010+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17650 (14050+3600)
18	1.10.17 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	15670 (12470+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17650 (14050+3600)
19	1.4.18	–	15670 (12470+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18180 (14580+3600)
20	1.10.18 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	16140 (12940+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18180 (14580+3600)
21	1.4.19	–	16140 (12940+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18730 (15130+3600)
22	1.10.19 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	16630 (13430+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18730 (15130+3600)
23	1.4.20	–	16630 (13430+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	19500 (15700+3800)
24	1.10.20 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	17130 (13930+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	19500 (15700+3800)

25	1.4.21	–	17130 (13930+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20090 (16290+3800)
26	**1.10.21** (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	**17650 (14450+3200)**	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20090 (16290+3800)
27	1.4.22	–	17650 (14450+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20470 (16670+3800)
28	1.10.22 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	18180 (14980+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20470 (16670+3800)
29	1.4.23	–	18180 (14980+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20470 (16670+3800)

हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के अंतर्गत श्री राजिन्द्र सिह झारटा का दिनांक 1.1.2016 से संशोधित वेतनमानों ₹55,500 (Level/Cell-अंकित नहीं) में वेतन आहरित किया गया था परन्तु सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के अन्तर्गत श्री राजिन्द्र सिंह झारटा, लिपिक का वेतन 1.1.16 से Level-4, Cell-18 ₹ 34100 में निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु वास्तव में आहरित/ निर्धारित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गिया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	दिनांक / विवरण	**1.1.16** को असंशोधित वेतनमान से मूल वेतन	**1.1.16** को नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो निर्धारित होना चाहिए था	**Level/Cell**	**1.1.16** से सेवा पुस्तिका में दर्ज / निर्धारित संशोधित मूल वेतन	**1.1.16** से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
1	1.1.16	14760 (11560+3200)	34100	Level-4 /Cell-18	–	–
2	1.4.2016	15210 (12010+3200)	35100	Level-4 /Cell-19	–	–
4	1.4.2017	15670 (12470+3200)	36200	Level-4 /Cell-20	–	–

	1.4.18	16140 (12940+3200)	37300	Level-4 /Cell-21	–	–
	1.4.19	16630 (13430+3200)	38400	Level-4 /Cell-22	–	–
	1.4.20	17130 (13930+3200)	39600	Level-4 /Cell-23	–	–
	1.4.21	17650 (14450+3200)	40800	Level-4 /Cell-24	–	–
	1.4.22	18180 (14980+3200)	42000	Level-4 /Cell-25	–	–
	1.1.23	18180 (14980+3200)	42000	Level-4 /Cell-26	–	55500

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में वर्णित देय वेतन से कम व ज्यादा वेतन, अनियमित रूप से आहरित करके भुगतान करने के अतिरिक्त दिनांक 1.10.09 के पश्चात बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/कार्यालय आदेश के वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 17 (क) में भी आपति उठाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई अमल मे नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को अवधि 1.10.09 से 31.03.2023 तक **परिशिष्ट " 9"** पर वर्णित विवरणानुसार ₹788923/- के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया है । वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण **ज्ञापन संख्या- 18 दिनांक: 21.03.2024** द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वर्तमान समय तक कोई कार्रवाई न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर नियमानुसार कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार वेतन निर्धारित करके वेतन व भतों के पाए गए अधिक भुगतान की संस्था स्तर पर गणना करने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.2 श्री अनिल चौहान, सचिव के हि.प्र. सिविल सेवाएँ {संशोधित वेतन} नियम, 2022" के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण कर वेतन व भत्तों के रूप में ₹.01 लाख का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान श्री अनिल चौहान, सचिव की सेवा पंजिका की पड़ताल में पाया गया कि HPCS (RP) 2022 के अन्तर्गत को निर्धारण 1.1.16 से 2.59 के विकल्प चुने जाने पर Level-13, Cell-12 ₹63900 पर निर्धारित किया जाना चाहिए था जबकि नगर पंचायत द्वारा Level-14, Cell-11 ₹64100 पर किया गया है अत: वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार अपेक्षित वेतन में भिन्नता पाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -:

क्रम स०	दिनांक/ विवरण	1.1.2016 से सेवा पंजिका अनुसार गलत वेतन का निर्धारण		1.1.2016 से नियमानुसार अपेक्षित वेतन का निर्धारण	
1	1.1.16	64100	Level-14, Cell-11	63900	Level-13, Cell-12
2	1.12.16	66000	Level-14, Cell-12	65800	Level-13, Cell-13
3	1.12.17	68000	Level-14, Cell-13	67800	Level-13, Cell-14
4	1.12.18	70000	Level-14, Cell-14	69800	Level-13, Cell-15
5	1.12.19	72100	Level-14, Cell-15	71900	Level-13, Cell-16
6	1.12.20	74300	Level-14, Cell-16	74100	Level-13, Cell-17
7	1.12.21	76500	Level-14, Cell-17	76300	Level-13, Cell-18
8	1.12.22	78800	Level-14, Cell-18	78600	Level-13, Cell-19
9	1.12.23	81200	Level-14, Cell-19	81000	Level-13, Cell-20
10	1.12.24	83600	Level-14, Cell-20	83400	Level-13, Cell-21

उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री अनिल चौहान, सचिव को अवधि 1.12.2022 से 31.03.2023 तक **परिशिष्ट " 10"** पर वर्णित विवरणानुसार ₹1016/- के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया है। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 23 दिनांक: 27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वर्तमान समय तक कोई कार्रवाई न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था

जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः वर्णित अनियमितता या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा संबंधित कर्मचारी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.3 हि.प्र.वेतन संशोधन नियम 2022 के लाभ से संबंधित कार्यालय आदेश पारित किये बिना कर्मचारियों को ₹2.36 लाख का भुगतान करना:-

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या No.UD-H(B)-(7)-11/87-VII-40597-40959 दिनांक 14/10/2022 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों व अधिकारीयों को वेतन संशोधन

नियम 2022 के लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किये गए थे। अंकेक्षण के दौरान संस्थापना से सम्बंधित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के कर्मचारियों को वेतन संशोधन नियम 2022 के लाभ प्रदान किये गए थे परन्तु यह लाभ प्रदान करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण निम्न वर्णन अनुसार किये गए ₹236335/- के वेतन भुगतानों की अंकेक्षण के दौरान पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	भुगतान की अवधि	भुगतान की राशी (₹)
1	श्री राजिन्द्र कुमार झारटा, लिपिक **(परिशिष्ट-11)**	फरवरी 23 से मार्च 23- 2 माह (आहरित वेतन प्रति माह- ₹69975)	139950
2	श्रीमती सोदा देवी, सफाई कर्मचारी **(परिशिष्ट-12)**	मार्च 23- 1 माह (आहरित वेतन प्रति माह- ₹29032)	29032
3	श्री अनिल शर्मा, चपरासी **(परिशिष्ट-13)**	जनवरी 23 से मार्च 23- 3 माह (आहरित वेतन प्रति माह- ₹22451)	67353
	कुल भुगतान		**236335**

इस भुगतान बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 16.03.2024 द्वारा भुगतान बारे वस्तुस्तिथि स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया था जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने अपेक्षित करवाई उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वाशन दिया गया है। अत: सम्बंधित अभिलेख का अनुरक्षण उपरांत अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.4 नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के नियुक्तियां करने के कारण वेतन पर ₹24.02 लाख का अनियमित व्यय करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर निम्न विवरण अनुसार विभिन्न कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किये बिना नगर पंचायत के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था जिनके वेतन पर नियुक्ति की तिथि से 31.03.2023 तक ₹2402266/- के वेतन/मजदूरी का अनियमित व्यय भी किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग से स्वीकृति/अनुमति नहीं ली गई थी जबकि Himachal Pardesh Municipal Service Act 1994 के प्रावधानानुसार यदि नगर पंचायत को किसी कर्मचारी की किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो उस स्थिति में पद सृजन व नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

कर्मचारी का नाम व पदनाम	**नियुक्ति की तिथि**	**नियुक्ति का विवरण**	**अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 के दौरान वेतन पर किया गया व्यय (₹)**
श्री रमेश चंद (सफाई कर्मचारी)	1.8.2018	बैठक संख्या 74 दिनांक 08.08.2018 के तहत विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफाई कार्यों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।	84000
श्री सुनील कुमार उपनाम सोनू (सफाई कर्मचारी)	1.8.2018	बैठक संख्या 74 दिनांक 08.08.2018 के तहत विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफाई कार्यों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।	50400
श्री विपिन परमार उपनाम रोशन लाल (सफाई कर्मचारी)	1.8.2018	बैठक संख्या 74 दिनांक 08.08.2018 के तहत विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफाई कार्यों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।	100800
श्री केवल राम (सफाई कर्मचारी)	1.8.2018	बैठक संख्या 74 दिनांक 08.08.2018 के तहत विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफाई कार्यों के	100800

		लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।	
श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	1.7.2019	बिना किसी प्रस्ताव के अलग-अलग वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफ़ाई के लिए दैनिक वेतन के आधार पर सीधे नियुक्ति की गई।	100800
श्री मनोज कुमार (सफाई कर्मचारी)	1.7.2019	बिना किसी प्रस्ताव के अलग-अलग वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सफ़ाई के लिए दैनिक वेतन के आधार पर सीधे नियुक्ति की गई।	50400
कुल अवधि 4/2022 से 3/2023 तक किया गया भुगतान (A) (परिशिष्ट-14)			**487200**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 17(ख) अनुसार दिनांक 31/03/2022 तक किया गया भुगतान (B)			**1915066**
दिनांक 31/03/2023 तक किया गया कुल भुगतान (A+B)			**2402266**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16- दिनांक- 16.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

13.5 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण व अद्यतन न करना:-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश)-1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधानानुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में एडवांस क्रेडिट देते हुये पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है।

क्रम संख्या	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि जिसके लिए अर्जित अवकाश खाता पूरा नहीं हुआ है	अवधि जिसके लिए अर्ध वेतन अवकाश / रूपांतरित अवकाश खाता पूरा नहीं हुआ है
1	श्री राजिन्द्र सिंह झारटा	लिपिक	1.7.2014 to 31.3.2023	1.7.2014 to 31.3.2023
2	श्रीमती सोदा देवी	सफाई कर्मचारी	1.7.2018 to 31.3.2023	1.1.2018 to 31.3.2023

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 16 दिनांक- 16.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अत: कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13.6 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करना :-

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवम 7.15 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा पंजिकाओ में कर्मचारियो से संबन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की पृविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है I

क्रम संख्या	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पदनाम	अंकेक्षण टिपण्णी
1	श्री राजिन्द्र सिंह झारटा	लिपिक	सेवा पुस्तिका में दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2023 तक वेतन वृद्धि तथा सेवा सत्यापित नहीं की गयी तथा वेतन संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नहीं किया गया I
2	श्रीमती सोदा देवी	सफाई कर्मचारी	सेवा पुस्तिका में दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2023 तक वेतन वृद्धि तथा सेवा सत्यापित नहीं की गयी तथा वेतन संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नहीं किया गया I
3	श्री अनिल शर्मा	चपरासी	वेतन वृद्धि तथा सेवा सत्यापित नहीं की गयी तथा वेतन संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नहीं किया गया I

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 16 दिनांक- 16.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अत: कर्मचारीयों की सेवा पुस्तिकायों का अनुरक्षण नियमानुसार करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14 पैंशन और ग्रेच्युटी फ़ंड:-

14.1 वित्तीय स्थिति:-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-"15"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर पंचायत के पैंशन व ग्रेच्युटी निधि की अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के पैंशन और ग्रेच्युटी फ़ंड की अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान वित्तीय स्तिथि						
वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)**	**कुल (₹)**	**वर्ष के दौरान भुगतान (₹)**	**अंत शेष (₹)**
2022-22	1346020.00	122148.00	37555.00	1505723.00	Nil	1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष						1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को बैंक अनुसार अंत शेष						1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार अंत शेष						**0.00**
दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अंत शेष का विवरण						
UCO Bank a/c No. 04110110004715						1505723.00

पैंशन व ग्रेच्युटी निधि का अंकेक्षण करने के दौरान निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(i) नगर पंचायत द्वारा पैंशन व ग्रेच्युटी निधि राशि यूको बैंक के खाता संख्या-04110110004715 में जमा की जा रही थी जोकि श्री राजेन्द्र सिंह, क्लर्क के नाम से खोला गया है तथा सचिव नगर पंचायत के नाम से pledge किया गया है, जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार पैंशन व ग्रेच्युटी निधि का बैंक खाता सचिव नगर पंचायत के नाम से संचालित किया जाना अपेक्षित है। अत: उक्त व्यवस्था को तुरन्त बंद करके पैंशन व ग्रेच्युटी निधि का बैंक खाता सचिव नगर पंचायत के नाम से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) पैंशन व ग्रेच्युटी निधि में नगर पंचायत द्वारा 17% (12% + 5%) पैंशन व ग्रेच्युटी अंशदान के अतिरिक्त श्री राजेन्द्र सिंह क्लर्क के द्वारा 10% G.P.F. व्यक्तिगत अभिदान की राशि भी जमा की जा रही थी जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार G.P.F के अभिदान हेतु अलग G.P.F निधि व बैंक खाते का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा यथानुसार परामर्श दिया जाता है कि पैंशन व ग्रेच्युटी निधि में जो राशि G.P.F की जमा है उसकी गणना विभागीय स्तर पर करके G.P.F निधि बैंक खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 20 दिनांक-27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14.2 श्री अनिल चौहान, सचिव के ₹1.20 लाख के जी०पी०एफ (GPF)कटौती से सम्बंधित रोकड़ बही व खाता बही प्रविष्टि तथा बैंक खाता प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-/1/79-III दिनांक 25-04-2000 द्वारा "Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratutiy & General Provident Fund) Rules 2000" अधिसूचित किये गए थे। इसके नियम 12 अनुसार सामान्य भविष्य निधि खातों का रख-रखाव करने के दिशा निर्देश वर्णित है जिसके अनुसार सामान्य भविष्य निधि के खाते निदेशक द्वारा रखे जायेंगे प्रत्येक कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खाते सम्बन्धित नगर पालिका कार्यालयों में अनुरक्षित किये जाने अपेक्षित है जिनका निदेशक के कार्यालय में रखे गए खातों से मिलान किया जाएगा।

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचनानुसार श्री अनिल चौहान, सचिव की अवधि 6/2022 से 3/2023 तक के वेतन से कुल 120000/-(प्रतिमाह ₹12000/- की दर से) GPF की कटोती दर्शाई गई है **(परिशिष्ट-16)** परन्तु इस उक्त अधिकारी की इस कटोती से सम्बंधित रोकड़ बही व खाता बही प्रवष्टि सहित बैंक पासबुक इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण उक्त कटौती की राशि की सत्यापन अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी ।

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 20 दिनांक-27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: सम्बंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS)

15.1 वित्तीय स्थिति :-

अंकेक्षण को **परिशिष्ट-"17"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 की अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) की वितीय स्थिति" निम्न प्रकार से है:-

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) की अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान वित्तीय स्तिथि

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान भुगतान (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	648082	167313	17994	**833389**	0	**833389**

दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष	**833389**
दिनांक 31/03/2023 को बैंक अनुसार अंत शेष	**833389.67**
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार अंत शेष में अंतर	**0.67**
दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अंत शेष का विवरण	
HP UCO Bank A/c No. 04110110063538	49209.00
HP UCO Bank A/c No. 04110110060803	91298.00
HP UCO Bank A/c No. 04110110004708	692882.67
कुल	**833389.67**

15.2 सामान्य भविष्य निधि, पैंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municiapalities Employees (Pension,Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे तथा इन नियमों के नियम- 3 में प्रावधान किया गया हैं कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पैंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु

निदेशक द्वारा पैंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इस का रख-रखाव भी किया जायेगा और उप नियम 3 में प्रावधान अनुसार सभी नगरपालिकाऐ कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमश: 12% तथा 5% की दर से पैंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान पैंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा था जोकि Himachal Pradesh Municiapalities Employees (Pension,Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 की सरासर अवहेलना हैं ।

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 20 दिनांक-27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता हैं।

16 व्यय

16.1 अभिलेख प्रस्तुत किये बिना किया गया ₹2.08 लाख का भुगतान:-

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 की नमूना नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए विवरण अनुसार ₹**208292**/- की राशि का व्यय दर्ज किया गया है, परन्तु इससे संबंधित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिस कारण किये गए भुगतान की पूर्ण पड़ताल अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	भुगतान का विवरण	बिल संख्या / दिनांक	भुगतान राशी (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गए
1	3/ 01-07-22	184	Payment of Telephone Bill	-	863	-बिल भुगतान रजिस्टर । -बिल अनुसार बकाया राशी 4575 है परन्तु भुगतान केवल 863 का किया गया है।
2	4/ अंकित नहीं	184	Paid to NIELET on A/c of Outsource J.E Salary for 8 Months	-	139752	भुगतान बिल,रजिस्टर व उपस्तिथि ।

3	5/ 07-07-22	184	Payment Bill of Sanitation Worker Sh. Rajinder Kumar for the Month of June	-	22000	-भुगतान सम्बंधित अनुबंध/ निविदा सम्बंधित औपचारिकता। -बिल भुगतान रजिस्टर।
4	5/ 07-07-22	184	Paid to RSB Transport for Garbage Transportation Charge in NP Chopal	-	20000	-भुगतान सम्बंधित अनुबंध/ निविदा सम्बंधित औपचारिकता। -बिल भुगतान रजिस्टर।
5	अंकित नहीं	185	Purchase of Grass cutting Talwar	121/ 30-06-22	2000	-बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान रसीद अनुसार किया गया है। -RTGS Authority प्रस्तुत नहीं की गयी।
6	अंकित नहीं	185	Payment to Sh. D.N Sharma on A/c of Test .	503/ अंकित नहीं	2100	RTGS Authority प्रस्तुत नहीं की गयी।
7	अंकित नहीं	185	Payment to Krishna Hardware Chopal	152/ 16-05-22	8956	RTGS Authority प्रस्तुत नहीं की गयी।
				223/ 25-06-22	770	
				226/ 26-06-22	3277	
				Payment Made on Basis of Receipt	2000	
6	अंकित नहीं	185	Payment to Himgiri Printers	1325/ 20-06-22	1330	RTGS Authority प्रस्तुत नहीं की गयी।
7	अंकित नहीं	185	Payment to R. Printers	177/ 20-06-22	2100	RTGS Authority प्रस्तुत नहीं की गयी।

8	अंकित नहीं	185	Payment of purchase of Plastic under Buy Back Policy	-	3144	खरीदे गए प्लास्टिक के वजन सम्बन्धी अभिलेख
	कुल भुगतान राशी				**208292**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल को सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया किया गया था परन्तु ये अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किये गए। अत: उक्त वर्णित अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16.2 PMAY के अंतर्गत ₹1.60 लाख का अनियमित भुगतान: -

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 की नमूना नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि PMAY के अंतर्गत निम्न तालिका में वर्णित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र में उल्लेखित नियमों/शर्तों की अवहेलना करके ₹160000/- का भुगतान किया गया था जिस कारण यह भुगतान अनियमित प्रतीत होता है-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशी (₹)	अंकेक्षण टिप्पणी
1	अंकित नहीं/ 07-22/ 185	श्री कल्याण सिंह पुत्रा श्री मोहन लाल	30000	• आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था तथा न ही नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया गया है। • अंतिम भुगतान होने के कारण विहित अपेक्षित रिपोर्ट जैसे के गंदे पानी के निकासी, साइन बोर्ड , जिओ टैगिंग अदि की रिपोर्ट भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गयी है । • लाभार्थी से कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है ।

2	अंकित नहीं/ 07-22/ 185	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री चेत राम	50000	• आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था तथा न ही नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया गया है। • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र दिनांक 21-06-17 को जारी किया गया था परन्तु लाभार्थी का आवेदन पत्र संख्या 11 दिनांक 05-07-22 को स्वीकृत किया गया। अत: अद्यतन आय प्रमाण पत्र न प्राप्त करने बारे के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए। • लाभार्थी से कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। • स्वीकृति पत्र की शर्तानुसार घर का नक्शा भी लाभार्थी की नास्ति में संलग्न नहीं है।
3	अंकित नहीं/ 07-22/ 185	श्री अनूप कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह	50000	• आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था तथा ना ही नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया गया है। • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र दिनांक 08-04-09 को जारी किया गया था परन्तु लाभार्थी का आवेदन पत्र संख्या 11 दिनांक 05-07-22 को स्वीकृत किया गया है। इतने पुराने आये प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए। • लाभार्थी से कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। • स्वीकृति पत्र की शर्तानुसार घर का नक्षा भी लाभार्थी की नास्ति में संलग्न नहीं है।

4	अंकित नहीं/ 07-22/ 185	श्री गोपी सिंह मालिक	30000	• आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था तथा ना ही नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया गया है। • अंतिम भुगतान होने के कारण विहित अपेक्षित रिपोर्ट जैसे के गंदे पानी के निकासी, साइन बोर्ड , जिओ टैगिंग अदि की रिपोट भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गयी है। • लाभार्थी से कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है ।
	कुल भुगतान		160000	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल को सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया किया गया था परन्तु ये अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किये गए। अत: उक्त वर्णित अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16.3 कार्यालय में Desktop, Printer व UPS का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से न करना:-

हि०प्र० वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin.(C)(A)(3)52004 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार, स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है इन औपचारिकताओं के अनुसार `₹50000/- मूल्य के स्टॉक/स्टोर GeM. में उपलब्ध आपूर्तिकर्ता तथा `₹50000/- मूल्य से अधिक मूल्य के स्टोर व स्टॉक को GeM. विक्रेताओं के माध्यम से किया जाना आपेक्षित है व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरण अनुसार `₹95875/- के डेस्कटॉप, कम्प्यूटर व प्रिंटर का क्रय न तो GeM. विक्रेताओं के माध्यम से किया गया था और न ही डेस्कटॉप, कम्प्यूटर व प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन खलिनी, शिमला से किया गया था।

वाउचर संख्या व दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	दर	राशी
11/ 23.08.2022	187	625/ 01-08-2022	शर्मा एजेंसी, शांति निकेतन, चक्कर, शिमला	1 nos HP Desktop	**48900**	**48900**
				1 nos HP Printer	**19450**	**19450**
				1 nos UPS	**12900**	**12900**
	योग					**81250**
	+ 18% जी०एस०टी					**14625**
	कुल भुगतान					**95875**

यह प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-23 दिनांक-27.3.2023 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल के ध्यानार्थ लाया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में उचित प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्तमान में इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16.4 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ₹0.51 लाख का भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान विभिन्न वस्तुओं/सामग्रियों का क्रय व अन्य कार्य निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निम्नविवरणानुसार **₹50956/-** का व्यय किया गया था जिसमें बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 97 से 104 तथा नियम 10 की अवहेलना है।

क्रम संख्या	वाउचर सं०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	सामग्री	दर (₹)	राशी (₹)	भुगतान राशी (₹)
1	5/ 07-07-22	Sh. Rajinder Kumar	Payment Bill of Sanitation Worker Sh. Rajinder Kumar for the Month of June	Payment Bill of Sanitation Worker		22000	22000

2	5/ 07-07-22	RSB Transport	Paid to RSB Transport for Garbage Transportation Charge in NP Chopal	Transportation Charge in NP Chopal		20000	20000
3	अंकित नहीं/ 07-20	कृष्णा हार्डवेयर, चोपाल	152/ 16-05-22	2 Tape roll	15	30	
				2 Wire Service 16m Roll	3390	6780	
				2 Arsnel Bottle	75	150	
				2 Fevicol	65	130	
				1 Isolator	500	500	
				कुल बिल राशी		7590	
				भुगतान राशी = + 18% GST			8956
							50956
	कुल भुगतान						

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16.5 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर ₹3960/-का अधिक भुगतान:-

सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या-2006/01-15pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागो, बोर्ड, कार्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे । सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की कार्यकारी एजेंसी ब्यूरों ऑफ आउटरीच एंड कोम्मुनिकेशन(Bureau of Outreach Communication) {erstwhile DAVP} व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु योग्य है । अंकेक्षण के दौरान समाचार पत्रों को दिए विज्ञापनों से सम्बंधित सुचना **(परिशिष्ट-18)** की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जो भुगतान विज्ञापनों हेतु किया गया उन पर 15% की छूट प्राप्त नही की गयी थी, जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरो की तुलना में अधिक दरों से करने के कारण ₹3960/- का अधिक भुगतान किया

गया। अतः अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विज्ञापन पर किये गए भुगतान सम्बन्धी सुचना						
वाउचर सं०/ दिनांक	**रोकड़ बही पृष्ठ सं०**	**बिल सं०/ दिनांक**	**राशी (₹)**	**15% छुट (₹)**	**विज्ञापन एजेंसी**	**विवरण**
13/8/ 25-08-2022	187	HP-1-2223-003882/ 29-07-22	2587	388	दिव्या हिमाचल प्रकाशन	स्ट्रीट विक्रेता बारे सुचना
4/12/ 12-12-2022	192	1005376989 / 15-09-22	11340	1701	द हिन्द समाचार लि०	टेंडर सुचना
11/2/ 28-02-2023	197	1005428847 / 20-01-22	12474	1871	द हिन्द समाचार लि०	टेंडर सुचना
	कुल		26401	3960		

16.6 यात्रा भत्ता बिल ले रूप में ₹0.01 लाख के अनियमित भुगतान;-

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित मास से सम्बंधित वोउचरों की पड़ताल करने पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 185 वाउचर संख्या- अंकित नहीं अनुसार कुमारी इशु, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स) को यात्रा भत्ता बिल के रूप में **₹1102/-** का भुगतान किया गया था। इस भुगतान से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया की संबंधित बिल में यात्रा का दिन के साथ समय अंकित नहीं किया गया है जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि संभव नहीं हो पाई।

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए कुमारी इशु, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स) से यात्रा सबंधित पूर्ण सूचना प्राप्त करने उपरांत सक्षम अधिकारी से उक्त यात्रा को सत्यापित करवाकर तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्य

17.1 **₹16.25 लाख के निमार्ण कार्यों की वित्तिय स्वीकृति/ प्रशासनिक स्वीकृति न प्रस्तुत करने बारेः-**

Himachal Pradesh Municipal Works Rules,2010 के प्रावधानानुसार नगर पालिका को केवल 5 लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान करने का अधिकार है तथा सहायक अभियन्ता को 10 लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित मासो में निम्नविवरणानुसार **₹1625334/-** के निर्माण कार्यों में न तो नगर पंचायत द्वारा पांच लाख तक के कार्यों हेतु पारित वित्तीय स्वीकृती प्रस्तुत की गई न ही सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत नही की गई जिस कारण किये गए भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	स्वीकृत राशी (₹)	भुगतान राशी (₹)
1	2/01-07-22/ 184	C/o R.Wall near Pradeep Kumar House at W.No. 6	श्री अभय बेस्टा	CPL/NP/Engg./Tender-12-2020-1179-118/ 30-12-21	0010 (55-58)	113165	83219
2	10/ 05-07-22/ 185	R/m of Nallah from GSSS Ground towards Mandir Road at W. No. 4,5 NP Chopal	श्री विकास	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1172-1175/ 30-12-21	0010 (68-73)	466862	345850
3	10/ 05-07-22/ 185	C/o R.Wall near Patwar Circle Chopal at W.No. 3	श्री अरुण ठाकुर	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1152-1155/ 30-12-21	0010 (62-67)	444962	357874
4	15/ 28-07-22// 185	C/o Toe Wall near Oldage home at W.	श्री अभय बेस्टा	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1164-167/ 30-12-21	0010 (59-62)	115774	104685

		No. 4 NP Chopal					
5	15/ 28-07-22// 185	R/m of Nallah from Mandir Road to main road at W. No. 4 NP Chopal	श्री प्रताप नेगी	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1176-1179/ 30-12-21	0010 (73-78)	484571	302354
	कुल भुगतान					**1625334**	**1193982**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक- 22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल को सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया किया गया था परन्तु ये अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ठ करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृती प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17.2 निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कम कटौती करना :-

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing} Rules,2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि की मात्रा के विरूद्ध की जाने वाली रॉयल्टी की कटौती की दरें प्रतिपादित की गई हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निर्माण कार्य बिलों से निम्न तालिका अनुसार नगर पंचायत् द्वारा रॉयल्टी की **₹ 13929/-** की कम कटौती की गई है। उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024** द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/फर्म से कम वसूली की गई रॉयल्टी की राशि को उद्योग विभाग को जमा करवाया जाए तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार सामग्री की खपत (क्यु० मी० में)	कन्वर्शन फैक्टर (क्यु० मी० से टनों में)	सामग्री की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी दर (₹ प्रति टन)	देय रॉयल्टी (₹)	बिल अनुसार की गयी रॉयल्टी की कटौती (₹)	अंतर (₹)
1	2/01-07-22/ 184	C/o R.Wall near Pradeep	श्री अभय बेस्टा	0010 (55-58)	रेत- 6.56 m^3	1.62	10.6272	80	850	689	161

		Kumar House at W.No. 6									
					बजरी- 0.75 m^3	1.52	1.14	80	91	79	12
					पत्थर- 20.5 m^3	2.24	45.92	80	3674	2153	1521
2	10/ 05-07-22/ 185	R/m of Nallah from GSSS Ground towards Mandir Road at W. No. 4,5 NP Chopal	श्री विकास	0010 (68-73)	रेत- 31.49 m^3	1.62	51.0138	80	4081	3306	775
					बजरी- 58.55 m^3	1.52	88.996	80	7120	6148	972
					पत्थर- 18.85 m^3	2.24	42.224	80	3378	1979	1399
3	10/ 05-07-22/ 185	C/o R.Wall near Patwar Circle Chopal at W.No. 3	श्री अरुण ठाकुर	0010 (62-67)	रेत- 24.38 m^3	1.62	39.4956	80	3160	2560	600
					बजरी- 6.04 m^3	1.52	9.1808	80	734	634	100
					पत्थर- 73.56 m^3	2.24	164.7744	80	13182	7724	5458
4	15/ 28-07-22/ 185	C/o Toe Wall near Oldage home at W. No. 4 NP Chopal	श्री अभय बेस्टा	0010 (59-62)	रेत- 9.1 m^3	1.62	14.742	80	1179	956	223
					बजरी- 17.23 m^3	1.52	26.1896	80	2095	1809	286
5	15/ 28-07-22/ 185	R/m of Nallah from Mandir Road to main road at W. No. 4 NP Chopal	श्री प्रताप नेगी	0010 (73-78)	रेत- 23.78 m^3	1.62	38.5236	80	3082	2497	585
					बजरी- 45.02 m^3	1.52	68.4304	80	5474	4727	747
					पत्थर- 14.69 m^3	2.24	32.9056	80	2632	1542	1090
	कुल अधिक भुगतान										**13929**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/फर्म से कम वसूली करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए लेखा शीर्ष "0853 Non Ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalities, 81-other receipts" में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.3 गलत गणना में के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना-

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 के अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित कार्यों में माप पुस्तिका में गणना त्रुटी कर संविदाकार को **₹3196/-** अधिक भुगतान किया गया था -

विवरण	मद	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार गणना	सही गणना	अंतर	मद की दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०-15/28-07-22/ **कार्य का नाम**-R/m of Nallah from Mandir Road to main road at W. No. 4 NP Chopal **संविदाकार का नाम**-श्री प्रताप नेगी **आवंटन पत्र सं०/ दिनांक**-CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1176-1179/30-12-21 **माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०**-0010(73-78) **स्वीकृत राशी**-4084571 **भुगतान राशी**-302354	Excavation in earth work by mechanical/Manual Means over areas (Exceeding 30m)including getting out & disposal of excavated earth upto lead of 50m	**0010 (74)**	**2x8.6x0.3x0.7= 12.08 m^3**	**2x8.6x0.3x0.7= 3.612 m^3**	**8.468 m^3**	**246.5/ m^3**	**2087**
	Disposal of Exavated material by mechanical means upto 3 KM		**2x8.6x0.3x0.7= 12.08 m^3**	**2x8.6x0.3x0.7= 3.612 m^3**	**8.468 m^3**	**131/ m^3**	**1109**
	कुल अधिक भुगतान						**3196**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः गलत गणना के कारण अधिक भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.4 Excavation in earth work की तुलना में Radom Rubble Masonry का 0.01 लाख अधिक भुगतान करना-

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 के निर्माण व्यय संबंधी की अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा Excavation in earth work by mechanical/Manual Means over areas (Exceeding 30m) including getting out & disposal of excavated earth upto lead of 50m की तुलना में Radom Rubble Masonry with hard stone in foundation and plinth incuding levelling with Cement concrete (1:3:6) upto plinth level with cement mortar 1:6 का अधिक माप लेकर निम्न विवरण अनुसार ₹1628/- का अधिक भुगतान किया गया था-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार Excavation in earth work की गणना	माप पुस्तिका अनुसार Radom Rubble Masonry की गणना	Radom Rubble Masonry की सही गणना	अंतर	मद की दर	अधिक भुगतान (₹)
1	2/01-07-22/ 185	C/o R.Wall near Pradeep Kumar House at W.No. 6	श्री अभय बेस्टा	0010 (56)	1x2.1x1x1= 2.1 m^3	$1x2.1(\frac{1.2+0.9}{2})x1.5=$ 3.31 m^3	$1x2.1(\frac{1+0.9}{2})x1.5=$ 3.00 m^3	0.31 m^3	5250/ m^3	1628

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार

पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17.5 Excavation in earth work की तुलना में P&L CC 1:3:6 का ₹0.08 लाख अधिक भुगतान करना-

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 के निर्माण व्यय संबंधी की अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित मासों से सम्बंधित निर्माण कार्यों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया की Excavation in earth work by mechanical/Manual Means over areas (Exceeding 30m)including getting out & disposal of excavated earth upto lead of 50m की तुलना में P&L in position Cement Concrete of Specific Grade excluding the cost of centering and shuttering 1:3:6 (1Cement: 3 Corse Sand: 6 Graded Stone 20 mm NS) का अधिक माप लेकर निम्न विवरण अनुसार ₹8612/- का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार Excavation in earth work की गणना	माप पुस्तिका अनुसार P&L in position Cement Concrete की गणना	P&L in position Cement Concrete की सही गणना	अंतर	मद की दर	अधिक भुगतान
1	15/ 28-07-22/ 185	C/o Toe Wall near Oldage home at W. No. 4 NP Chopal	श्री अभय बेस्टा	0010 (59 & 60)	1x11.1x0.3x0.5= 1.67 m^3	$1x11.1(\frac{0.4+0.45}{2})x \frac{0.85+1.00}{2}=$ 4.62 m^3	$1x11.1(\frac{0.3+0.45}{2})x \frac{0.85+1.00}{2}=$ 3.85 m^3	0.77	5629/ m^3	4334
					1x15.2x0.3x0.9= 4.1 m^3	$1x15.2x(\frac{0.4+0.35}{2})x1 =$ 5.7 m^3	$1x15.2x(\frac{0.3+0.35}{2})x 1=$ 4.94 m^3	0.76	5629/ m^3	4278
	कुल अधिक भुगतान									**8612**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

17.6 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों की मदों में विचलन (Deviation) करके संविदाकारों को ₹ 0.23 लाख का अनाधिकृत भुगतान करना:

नगर पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2023 के निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में मदों के विचलन (Deviation) के विवरण को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही संविदाकारों को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस कारण संविदाकारों को **₹23453/-** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	मद	माप पुस्तिका अनुसार मद की मात्रा	प्राक्कलन अनुसार मद की मात्रा	अतिरिक्त किया गया मद का निष्पादन/ प्रतिशत	मद की दर (₹)	अतिरिक्त भुगतान
1	2/01-07-22/ 185	C/o R.Wall near Pradeep Kumar House at W.No. 6	श्री अभय बेस्टा	0010 (56)	1./ P&L in position Cement Concrete of Specific Grade excluding the cost of centering and shuttering 1:3:6 (1Cement: 3 Corse Sand: 6 Graded Stone 20 mm NS)	0.84 m^3	0.48 m^3	0.36 m^3/ (75%)	6250/ m^3	2250
2	10/ 05-07-22/ 185	C/o R.Wall near Patwar Circle Chopal at W.No. 3	श्री अरुण ठाकुर	0010 (66)	Steel Work Welded in Build up section for Railing	453.41 K.G	327.70 K.G	125.71 K.G/ (38.36 %)	112/ KG	14080
3	15/ 28-07-22/ 185	R/m of Nallah from Mandir Road to main road at W. No. 4 NP Chopal	श्री प्रताप नेगी	0010 (77)	Centring and Shuttering including Shuttering, etc. & Seam complete	199.38 m^2	168 m^2	31.38 m^2/ (18%)	227/ m^2	7123
	कुल अधिक भुगतान									**23453**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण

समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ठ करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृती प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17.7 संविदाकारों के बिलों से जल व बिजली प्रभार की कटौती न करने के कारन संविदाकारों को 0.21 लाख का अधिक भुगतान करना-

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित मासों से सम्बंधित निर्माण कार्यों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया पाया गया कि निम्न वर्णित कार्यों से आवंटन पत्र की शर्तानुसार बिलों से 1.5% की दर से जल व बिजली प्रभार की कटौती नहीं की गयी थी तथा ना ही इस बारे माप पुस्तिका में कोई प्रमाणन दर्ज पाया गया । अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस कारण संविदाकारों को **₹21318/-** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है-

क्रम सं०	वाउचर सं०/ रोकड़ बही पृ०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	बिल की राशी	शर्तानुसार 1.5% की दर से जल व बिजली प्रभार की कटौती
1	2/01-07-22/ 184	C/o R.Wall near Pradeep Kumar House at W.No. 6	श्री अभय बेस्टा	CPL/NP/Engg./Tender-12-2020-1179-118/ 30-12-21	0010 (55-58)	100162	1502
2	10/ 05-07-22/ 185	R/m of Nallah from GSSS Ground towards Mandir Road at W. No. 4,5 NP Chopal	श्री विकास	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1172-1175/ 30-12-21	0010 (68-73)	414591	6219
3	10/ 05-07-22/ 185	C/o R.Wall near Patwar Circle Chopal at W.No. 3	श्री अरुण ठाकुर	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1152-1155/ 30-12-21	0010 (62-67)	428828	6432
4	15/ 28-07-22/ 185	C/o Toe Wall near Oldage home at W. No. 4 NP Chopal	श्री अभय बेस्टा	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1164-167/ 30-12-21	0010 (59-62)	124941	1874
5	15/ 28-07-22/ 185	R/m of Nallah from Mandir Road to main road at W. No. 4 NP Chopal	श्री प्रताप नेगी	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1176-1179/ 30-12-21	0010 (73-78)	352727	5291
	कुल अधिक भुगतान						**21318**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: उक्त निर्माण कार्यों में संविदाकार से अनुबंध की शर्त अनुसार जल व बिजली प्रभार वसूल न किये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

18 संविदाकारों के बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी) ₹ 2.34 लाख को सम्बंधित विभाग में जमा न करना:-

अंकेक्षण के दौरान सचिव नगर पंचायत चौपाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान संविदाकारों के बिलों से आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में काटी गई राशि ₹234091.10 जिसका विस्तृत **परिशिष्ट-**झढ दिया गया है को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गयी वैधानिक कटौतियां	राशी (₹)
1	आयकर	38636.96
2	एस०जी०एस०टी	35985.51
3	सी०जी०एस०टी	35985.51
4	लेबर उपकर	38636.96
5	रॉयल्टी	84846.19
	कुल	**234091.13**

उक्त वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 19 दिनांक-22.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: सविदाकारों के बिलों से आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में काटी गई राशि को संबधित विभाग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

19 (अचल संपति रजिस्टर) (Immovable property register) का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड –1975 की धारा 244 के अनुसार नगर पंचायत अपनी हर संपति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि अचल सम्पति रजिस्टर मे दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का सत्यापन नगर पंचायत के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्वारा तीन वर्षो मे एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर

अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि अचल संपति रजिस्टर का तुरन्त रख-रखाव एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अचल सम्पतियों की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना ;-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जबकि नियमानुसार वर्णित रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है:-

- *कांट्रेक्टर लैजर*
- *स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)*
- *अग्रिम मांग व संग्रहण रजिस्टर*
- *बिजली/ पानी/ टेलीफोन रजिस्टर*
- *RTI रजिस्टर*
- *आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन संबंधी रजिस्टर*
- *TA बिल रजिस्टर*
- *RTI रजिस्टर*

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-2023-23-न०प० चौपाल-06-01 दिनांक- 27.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल को सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया किया गया था परन्तु ये अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किये गए।अतः वर्णित अभिलेख के रख रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) में प्रावधान किया गया हैं कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत चौपाल द्वारा मौखिक तौर से अंकेक्षण को सूचित किया कि अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान नगर पंचायत के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया हैं जिसे नियमानुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अत: हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर

प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** यह अलग सें जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अकेंक्षण के दौरान कर लिया गया।

23 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख रखाव में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता हैं।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2620881

1 8 JUN 2024

का0/50

2867– 2869

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 81/85 खण्ड–4 दिनांक, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ग) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप–सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा शिमला–03।

पंजीकृत :– 3 सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1 8 JUN 2024

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2620881

का0/50

परिशिष्ट " 1" पैरा संख्या 1 (घ) के सन्दर्भ में

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1990

(1)	पैरा 6	अंशतःनिर्णीत
(2)	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 13	अनिर्णीत
(4)	पैरा 14	अनिर्णीत
(5)	पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
(6)	पैरा 15(बी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 16	अनिर्णीत
(8)	पैरा17(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

(1)	पैरा 11 (3) (4) (11) (12)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/2004

(1)	पैरा 5 (क)(ख)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 7 (च, ज)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 8 (ग, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 8 (ऋ, प)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 9	अनिर्णीत
(6)	पैरा 10(क)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 10 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (प) (फ)	अनिर्णीत
(8)	पैरा 13	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2008

(1)	पैरा 5 (vi) (viii)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 6(i)(iii)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 3/2010

1	पैरा 16	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2013

(1)	पैरा 15 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 18	अनिर्णीत
(3)	पैरा 20	अनिर्णीत
(4)	पैरा 21	अनिर्णीत
(5)	पैरा 26	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015

(1)	पैरा 4 (च)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 10 (ख) (ग)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 11	अनिर्णीत
(5)	पैरा 17	अनिर्णीत
(6)	पैरा 20	अनिर्णीत
(7)	पैरा 21 (क) से (घ)	अनिर्णीत
(8)	पैरा 22	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 3/2017

1	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (ङ) (i)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ङ) (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (ङ) (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा-4 (क) (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-8(ग)	अनिर्णीत	

5	पैरा-8(च)(छ)	अनिर्णीत	
6	पैरा-8(ज)	अनिर्णीत	
7	पैरा-8(ञ)	अनिर्णीत	
8	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा-10(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा-11	अनिर्णीत	
11	पैरा-12(क)	अनिर्णीत	
12	पैरा-12(ख)(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा-12(ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा-12(घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा-12(ङ)	अनिर्णीत	
16	पैरा-12(च)	अनिर्णीत	
17	पैरा-13	अनिर्णीत	
18	पैरा-14	अनिर्णीत	
19	पैरा-16	अनिर्णीत	

(10) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2023</u>**

1	पैरा- 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्रेषित किये जाने उपरांत
2	पैरा- (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
3	पैरा- (ख) से (छ)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 5	अनिर्णीत	
5	पैरा- 6(क) से (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा- 7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
7	पैरा- 8	अनिर्णीत	
8	पैरा- 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
9	पैरा- 10(क से ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
10	पैरा- 11(क से ड.)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
11	पैरा-12	अनिर्णीत	
12	पैरा-13	अनिर्णीत	
13	पैरा- 14(क से ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा-15	अनिर्णीत	

15	पैरा-16	अनिर्णीत	
16	पैरा-17 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
17	पैरा- 17(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 17(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
19	पैरा- 17(घ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
20	पैरा-18 (क से ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा-19 (क से झ)	अनिर्णीत	
22	पैरा-20(I)-(V)	अनिर्णीत	
23	पैरा-21	अनिर्णीत	
24	पैरा-22	अनिर्णीत	
25	पैरा-23	अनिर्णीत	
26	पैरा-24	अनिर्णीत	
27	पैरा-25	अनिर्णीत	
28	पैरा-26	अनिर्णीत	
29	पैरा-27	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
30	पैरा-28	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
31	पैरा-29	अनिर्णीत	
32	पैरा-30	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
33	पैरा-31	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुन: प्रारूपित
34	पैरा-32	अनिर्णीत	

<u>अनिर्णीत पैरों का सार</u>

दिनांक 1.4.22 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	97
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	19
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	13
31.3.23 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	103

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

(क) अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान सामान्य निधि रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति:-

वर्ष	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज(बचत खाता + सावधि जमा)	कुल	वर्ष के दौरान भुगतान	अंत शेष
2022-23	स्व: स्त्रोत	10018669.49	1149404	1429788	12597861.49	278654	12319207.49
	अनुदान	41340547	21806521	0	63147068	13968200	49178868
	कुल	**51359216.49**	**22955925**	**1429788**	**75744929.49**	**14246854**	**61498075.49**

(ख) दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में **₹234538.49/-**का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्तिथि अनुसार अंत शेष	**61498075.49**
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष	61263537.00
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्तिथि व रोकड़ बही अनुसार अंतर	234538.49
अंतर का विवरण	
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष	61263537
जमा: गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 04/19 से 03/22) पैरा सं० 4(ख) अनुसार अंतर	328890
जमा: अंकेक्षण उपरांत दिनांक 31/03/22 को रोकड़ बही में दर्ज भुगतान	23001.44
घटाव: अंकेक्षण उपरांत दिनांक 31/03/22 को रोकड़ बही में दर्ज प्राप्तियां	117354.41
जमा: पूर्णांक राशी	1.46
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्तिथि अनुसार अंत शेष	**61498075.49**

(ग) दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में **₹477610.42/-** का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्तिथि अनुसार अंत शेष	**61498075.49**
दिनांक 31/03/2023 को बैंक अनुसार अंत शेष	**61975685.91**
दिनांक 31/03/2023 को वित्तीय स्तिथि व बैंक अनुसार अंतर	**477610.42**

Secretary
Nagar Panchayat Chopal
Distt. Shimla, H.P.

पैरा- 5 (घ) परिशिष्ट -3

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.2023 तक सामान्य निधि रोकड़ बही से सम्बंधित बैंक बचत खातों में जमा राशि व सावधि जमा का विवरण :-

UCO Bank a/c No. 04110100008360	8575935.90
UCO Bank a/c No. 04110100008060	1386606.75
UCO Bank a/c No. 04110100003793	5502117.35
HDFC Bank a/c No. 50100159479258	7182604.60
HDFC Bank a/c No. 50100427921347	27211.31
HDFC Bank a/c No. 50100528800176	2560758.00
HPSC Bank a/c No. 40510105738	1358281.00
HPSC Bank a/c No. 40510115153	11654234.00
HPSC Bank a/c No. 40510115106	15881932.00
HPSC Bank a/c No. 40510115070	17999.00
HPSC Bank a/c No. 40510115069	814.00
HPSC Bank a/c No. 40510115073	4785.00
HPSC Bank a/c No. 40510115071	4677092.00
HPSC FDR a/c No. 79	1413215.00
NULM a/c No. 50100468484571 (State Nodal Account)	5000.00
SBM a/c 50100453093551 (State Nodal Account)	1100000.00
PMAY a/c No. 125501410042885 (State Nodal Account)	627100.00
Total	**61975685.91**

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा और किसी खातों का संचालन नहीं किया जाता है।

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल

फ़ा-5 ख- 4R

Cash Book
रोकड़ बही

(4)

T. R. 4.
[Treasury Rule 77 (1)]
फॉर्म फि० 4
[कोष नियम 77 (1)]

OFFICE OF....................
कार्यालय
RECEIPTS....................
प्राप्ति

PAYMENTS
भुगतान

177

MONTH OF....................200
मास....................200

Receipts

Date	No. of receipts where necessary	Particulars	Pay Rs.	P.	Allowances Rs.	P.	Contingencies: In recoupment of permanent advance Rs.	P.	Contingencies: Advance Payment Rs.	P.	Miscellaneous Rs.	P.	Total Rs.	P.
25.3.22	–	Opening Balance	–		–		–		–		–		5/603747	
25-3-22	5639	Sh. Amar Prem												
		C/Fee.	50	–										
–	5640	Amar Prem												
		BPL certific C/Fee	60	–										
–	5641	Surya Prakash.												
		House Tax	2160	–										
–	5642	Mela Ram Sharma												
		House tax	6480	–										
	5643	Illa Sharma												
		House Tax	10800	–										
	A/C	Received from												
		A/C No. 50100427921347												
		OBPAS Amount w.e.f.												
		15.7.21 to 31.3.22												
		Map application	7000	–										
		fee												
		Cash By Bank 15.1.21	1	–										
		Intt. 13.8.21	1	–										
		Intt. 1.10.21	9	–										
		Intt. 1.1.22	36	–										
		Total	26597	–	–		–		–		–		5/630344	–

Payments

Date	Sub voucher numbers	Particulars	Pay Rs.	P.	Allowances Rs.	P.	Contingencies: Out of permanent advance Rs.	P.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payment Rs.	P.	Miscellaneous Rs.	P.	Total Rs.	P.	Classification
18/21		Paid gst by deduction													
		HDFC Bank from													
		A/C No. 50100427921347	18	–											
		Closing Balance	18	–			–		–		–		5/630326	–	

177

S2

सचिव,
नगर पं... ...चौपाल,

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र० शिमला–1802–सी० पी० एस० एल० /2012–27–1–2012–5,000 रजिस्टर।

T. R. 4.
[Treasury Rule 77 (1)]
कोष नियम 4
[कोष नियम 77 (1)]

OFFICE OF........................
कार्यालय
RECEIPTS........................
रसीद

Cash Book
रोकड़ बही

178

RECEIPTS

Date तिथि	No. of receipts where necessary	Particulars विवरण	Pay वेतन Rs.	P.	Allowances भत्ते Rs.	P.	Contingencies: In recoupment of permanent advance Rs.	P.	Contingencies: Advance Payment Rs.	P.	Miscellaneous विविध Rs.	P.	Total जोड़ Rs.	P.
31-3-22		Opening Balance	-		-		-		-		-		51030396	-
		Amount Less Taken												
		Pag No. 113	.30	-										
		— 129	18019	-										
		— 118	2	-										
		— 118	5400	-										
		— 149	0.41											
		— 157	20	-										
		Cheque No. 00056	1084	-										
		FDR Int A/C 79												
		not Taken Cash Book	92799	-										
		G-Total	117354.41		-		-		-		-		51147680.41	
													sd/-	

सचिव
नगर पंचायत चौपाल
जिला शिमला, हि० प्र०

PAYMENTS
भुगतान

MONTH OF........................200..

Date	Sub-voucher numbers	Particulars विवरण	Pay Rs.	P.	Allowances Rs.	P.	Contingencies: out of permanent advance Rs.	P.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payment Rs.	P.	Miscellaneous Rs.	P.	Total Rs.	P.	Classification
		Amount not less													
		at Page No. 107	6000	-											
		Page No. 126	16934	-											
		— 132		.60											
		— 135	5	.41											
		— 137	5	.61											
		— 151	5	.41											
		Closing Balance	23001.41		-		-		-		-		51124678.97		
			23001.49												

सचिव
नगर पंचायत चौपाल
जिला शिमला, हि० प्र०

Cash Book
रोकड़ बही

T.R. 4.
[Treasury Rule 77 (1)]
कोष फि० 4.
[कोष नियम 77 (1)]

OFFICE OF ....
कार्यालय
RECEIPTS ....
रसीद

PAYMENTS
भुगतान

MONTH OF .... 200 .
मास .... 200 .

Receipts

Date तिथि	No. of receipts where necessary रसीद संख्या जहां आवश्यक है	Particulars विवरण	Pay वेतन Rs. P.	Allowances भत्ते Rs. P.	Contingencies: In recoupment of permanent advance Rs. P.	Contingencies: Advance Payment Rs. P.	Miscellaneous विविध Rs. P.	Total जोड़ Rs. P.
			-	-	-	-	-	51124679
1.4.22		Opening Balance	-	-				
1-4.22		Received Int.						
	HPSC	A/c 5166	118307-00					
	HPSC	A/c 5153	134866-00					
	HPSC	A/c 5738	19451-00					
	HPSC	A/c 5070	258-00					
	HPSC	A/c 5073	69-00					
	HDPC	A/c 9258	59389-00					
	HDPC	A/c 1347	51-00					
	HPSC	A/c 5069	12-00					
	UCO	A/c 8086	8322-00					
	UCO	A/c 3793	28242-00					
	UCO	A/c 8366	97848-00					
		Total	466815-00	-	-	-	-	51591494-00
4.4.22		Opening Balance	-	-	-	-	-	51591494
4.4.22		Received CFC Grant from Directo UDHP No-	802283-00					51591494-00
		Total	802283-00	-	-	-	-	52393777-00
	5644	Kamaljeet Lal Shop Rent	1000-00					
	5645	Sudesh Kum Rent.	1000-00					
	5646	Surender Sharma H Tax	2572-00					
	5647	Suresh Kuma C/fee	30-00					
	5648	Pankaj Marriage Certy	50-00					
	5649	Pankaj C/fee.	30-00					
	5666	Girish Thakur C/fee	30-00					
		G-Total	4732-00	-	-	-	-	52398509-00

सचिव
नगर पंचायत चौपाल
जिला शिमला, हि० प्र०

Payments

Date तिथि	Sub voucher numbers उप-वाउचर संख्या	Particulars विवरण	Pay वेतन Rs. P.	Allowances भत्ते Rs. P.	Contingencies: Out of permanent advance Rs. P.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payment Rs. P.	Miscellaneous विविध Rs. P.	Total जोड़ Rs. P.	Classification वर्गीकरण
		Closing Balance	-	-	-	-	-	51591494-00	
		Closing Balance	-	-	-	-	-	52393777-00	
		Closing Balance	-	-	-	-	-	52398509-00	

सचिव
नगर पंचायत चौपाल
जिला शिमला, हि० प्र०

54

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/23 सावधि जमा की स्तिथि-

Detail of FDR	Date of Investment	Amt. Invested (in ₹)	Rate of Interest (in %)	Period of Investment	Date of Maturity	Maturity Amount (in ₹)	Maturity Interest (in ₹)
HP State Co-Op. Bank TDR/ 1693687	04.10.2019	1413215	6.25%	4-Year	04.10.2023	1811100	397885

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल,

पैरा - 7,7.2,7.3 परिशिष्ट-6

(96)

Statement of Grants received during 2022-23 and expenditure made during 2022-23

Sr. No.	Sanctoning Authority	Letter No. & Date	Opening Balance	Receipt during 2022-23	Total	Expenditure during 2022-23	Closing Balance as on 31.03.2023	UC Sent
1	Director UD Shimla, HP (SFC)	UD-H(C)(10)1/2022-SFC Award-25021-25084 dated 5.08.2022 Rs,1353259/- Rs.4018920/-	4825484	5372179	10197663	7076246	3121417	Letter No-NP/CPL(UC)2023-530 Dated-11/12/2023 ₹4018920/- ₹1353259/-
2	Director UD Shimla, HP (CFC)	UD-H(C)(10)1/2020-I-7920-88 dated 11-04-2022 Rs.802283/-	9355711	4897242	14252953	307602	13945351	Letter No-NP/CPL(UC)2023-530 Dated-11/12/2023 ₹802283/- ₹833141/-
		UD-H(C)(10)1/2020-I-CFC - Release-28110-28179 dated 31.08.2022 Rs.802283/-						
		UD-H(C)(10)1/2020-I CFC-Release-28040-28109 dated 31-08-2022 Rs.1203426/-						
		UD-H(C) (10)- 1 /2020-I CFC-Release- 43197-258 dated 14-11-2022 Rs.3745/-						
		UD-H(C) (10)- 1 /2020-I CFC-Release- 42259-42320 dated 14-11-2022 Rs.2653/-						
		UD-H(C)(10)-1 /2020-I CFC-Release- 60560-622 dated 02-03-2023 Rs.833141/-						
		UD-H(C) (10)-1 /2020-I CFC-Release- 60623-85 dated 02-03-2023 Rs.1249711/-						
3	Director UD Shimla, HP (NULM)		69776	0	69776	64776	5000	

56

4	Director UD Shimla, HP (ULB Roads)		214659	0	214659	214659	0	
5	Director UD Shimla, HP (Parking)		8000000	0	8000000	0	8000000	
6	Director UD Shimla, HP (Parks)		7000000	0	7000000	0	7000000	
7	Director UD Shimla, HP (PMAY)		1080000	602100	1682100	1055000	627100	
8	Director UD Shimla, HP (ASSY)	UD-HP-ASSY Draft on dated 18.07.2022	7500000	7500000	15000000	0	15000000	
9	Deputy Commissioner Shimla (MPLAD)	C/O Community Hall Nagar Panchayat Chopal Rs.300000/-	1640443	300000	1940443	1640443	300000	
10	Director UD Shimla, HP (SBM)		1522206	635000	2157206	1057206	1100000	
11	Director Animal Husbandary, Shimla		52268	0	52268	52268	0	
12	Director UD Shimla, HP (COVID-19)		80000	0	80000	0	80000	
	Total		**41340547**	**19306521**	**60647068**	**11468200**	49178868	

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल,

57

पैरा-9.1 परिशिष्ट-1

House Tax Statement 4/22 to 3/23

Financial Year	Balance as on 31.03.2022	Demand 2023	Total	Collections	Closing Balance as on 31.3.2023
2022-23	4227139	535920	4763059	474770	4288289

सचिव,
नगर पंचायत चौपारा,

पैरा-101, परिशिष्ट-8

59

Rent Statement NP Chopal-4/22 to 3/23						
	Year	Opening Balance	Demand for the year2022-23	Total	Collection	Closing Balance as on 31-03-23
		1	2	3	4	5
	2022-23	3338879	447732	3786611	207200	3579411

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल,

59

Statement of payment of Excess salary drawn by Sh. Rajinder Kumar Jharta, Clerk w.e.f.1.10.09 to 31.03.2023

A. Salary Excess drawn for the period 04/2022 to 01/2023 (Old Pay Scale i.e. 2009)

	Salary Drawn								Salary Due						
Month	Basic pay	Grade pay	Total (2+3)	D.A. Rate	D.A.	IR Rate	IR	Total (4+6+8)	Basic pay	Grade pay	Total (10+11)	D.A.	IR	Total (12+13 +14)	Excess Drawn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (9-15)
Apr-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
May-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
Jun-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
Jul-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
Aug-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
Sep-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14450	3200	17650	28593	3707	**49950**	7980
Oct-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14980	3200	18180	29452	3818	**51450**	6480
Nov-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14980	3200	18180	29452	3818	**51450**	6480
Dec-22	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14980	3200	18180	29452	3818	**51450**	6480
Jan-23	16670	3800	20470	162	33161	21	4299	**57930**	14980	3200	18180	29452	3818	**51450**	6480
B. Salary Excess drawn for the period 02/2022 to 03/2023 (new Pay Scale i.e. 2022)															0
Feb-23	55500	0	55500	31	17205	0	0	**72705**	42000	0	42000	13020	0	**55020**	17685
Mar-23	55500	0	55500	31	17205	0	0	**72705**	42000	0	42000	13020	0	**55020**	17685

Total salary excess drawn for the period 4/2022 to 3/2023 (A+B)	**109170**
Add: Excess payment of salary as per audit para 17 (क) of the Audit report 1.4.2019 to 31.3.2022	**679753**
Total payment of Excess salary drawn by Sh. Rajinder Kumar Jharta, Clerk w.e.f.1.10.09 to 31.03.2023	**788923**

Section Officer
State Audit Department
Shimla-9, H.P.

60

पृ.-13.2 परिशिष्ट -10

(51)

Statement of payment of Excess salary drawn by Sh.Anil Chauhan Secretary w.e.f.1.12.2022 to 31.03.2023

Salary Drawn							Salary Due					
Month	**Basic pay**	**Level/Cell**	**Total**	**D.A. Rate**	**D.A.**	**Total (4+6)**	**Basic pay**	**Level/Cell**	**Total**	**D.A.**	**Total (8+10)**	**Excess Drawn**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Dec-22	78800	Level-14, Cell-18	78800	31	24420	**103220**	78600	Level-13, Cell-19	78600	24366	**102966**	254
Jan-23	78800	Level-14, Cell-18	78800	31	24420	**103220**	78600	Level-13, Cell-19	78600	24366	**102966**	254
Feb-23	78800	Level-14, Cell-18	78800	31	24420	**103220**	78600	Level-13, Cell-19	78600	24366	**102966**	254
Mar-23	78800	Level-14, Cell-18	78800	31	24420	**103220**	78600	Level-13, Cell-19	78600	24366	**102966**	254
Total salary excess drawn for the period 12/2022 to 3/2023												**1016**

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

61

Salary of Sh. Rajinder Singh Assistant Nagar Panchayat Chopal for the period of April,2022 to March ,2023

Sr. No.	Month	Basic Pay	Grade Pay	Total	IR 21%	DA-159%	CA	HRA		Total	CPF	Net Payable
1	April	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
2	May	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
3	June	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
4	July	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
5	August	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
6	September	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
7	October	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
8	November	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
9	December	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
10	January	16670	3800	20470	4299	33161	250	500		58680	3480	55200
11	February	55500	0	55500	0	17205	250	500		73455	3480	69975
12	March	55500	0	55500	0	17205	250	500		73455	3480	69975
	Total	**277700**	**38000**	**315700**	**42990**	**366020**	**3000**	**6000**		**733710**	**41760**	**691950**

Secretary,
Nagar Panchayat Chopal,
Distt Shimla H.P

Salary of Sh. Anil Sharma Peon Nagar Panchayat Chopal for the period of March,2022 to March,2023

Sr. No.	Month	Basic Pay	Grade Pay	Total	IR 21%	DA-162%	CA	HRA	UA	Total	CPF	Net Payable
1	April	4900	1400	6300	1323	10017	250	250	140	18280	1632	16648
2	May	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
3	June	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
4	July	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
5	August	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
6	Septembe	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
7	October	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
8	November	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1651	16818
9	December	4900	1400	6300	1323	10206	250	250	140	18469	1652	16817
10	January	18500	0	0	0	5735	250	250	140	24875	2424	22451
11	February	18500	0	0	0	5735	250	250	140	24875	2424	22451
12	March	18500	0	0	0	5735	250	250	140	24875	2424	22451
	Total	99600	12600	56700	11907	108870	3000	3000	1680	240657	22113	218541

पैरा-13.4 परिशिष्ट-14

Expenditure incurred on Safai Workers deployed for collection of Door to Door Garbage. Upto 31.03.2023

Sr.No	Month	Sonu Kumar (alias) Sunil Kumar	Vipin Parmar (alias)Roshan Lal	Kewal Ram	Ramesh Chand	Naresh Kumar	Manoj Kumar	Monthly Amount Paid
Date of Appointment		01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.07.2019	01.07.2019	
1	Apr-22	8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
2	May-22	8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
3	Jun-22	8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
4	Jul-22	8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
5	Aug-22	8400	8400	8400	0	8400	8400	42000
6	Sep-22	0	0	0	0	0	0	0
7	Oct-22	8400	16800	16800	8400	16800	8400	75600
8	Nov-22	0	8400	8400	8400	8400	0	33600
9	Dec-22	0	8400	8400	8400	8400	0	33600
10	Jan-23	0	8400	8400	8400	8400	0	33600
11	Feb-23	0	8400	8400	8400	8400	0	33600
12	Mar-23	0	8400	8400	8400	8400	0	33600
	Total	50400	100800	100800	84000	100800	50400	487200

Secretary
Nagar Panchayat Chopal
Distt. Shimla, H.P.

65

पैरा-15.1 परिशिष्ट-15

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के पैंशन और ग्रेच्युटी फ़ंड की अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान वित्तीय स्तिथि						
वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान भुगतान	अंत शेष
2022-22	1346020.00	122148.00	37555.00	1505723.00	Nil	1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष						1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को बैंक अनुसार अंत शेष						1505723.00
दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार अंत शेष						**0.00**
दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अंत शेष का विवरण						
UCO Bank a/c No. 04110110004715						1505723.00

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल,

Salary Statement of Sh. Anil Chauhan Secretary Nagar Panchayat Chopal w.e.f. June,2022 to March ,2023

Sr. No.	Salary for the Month	P.B.	G.P.	Total BP+GP	DA 162%	IR@21%	Total	CA	HRA	Gross	Deduction CPF	Deduction I.T.	Net Payable
1	June	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
2	July	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
3	August	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
4	September	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
5	October	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
6	November	24500	4600	29100	47142	6111	82353	250	400	83003	12000	2000	69003
7	December	78800	0	78800	24420	0	103220	250	400	103870	12000	2000	89870
8	January	78800	0	78800	24420	0	103220	250	400	103870	12000	2000	89870
9	February	78800	0	78800	24420	0	103220	250	400	103870	12000	2000	89870
10	March	78800	0	78800	24420	0	103220	250	400	103870	12000	2000	89870
	Total	462200	27600	489800	380532	36666	906998	2500	4000	913498	120000	20000	773498

Secretary
Nagar Panchayat Chopal,
Distt. Shimla H.P.

67

पैरा-15.1. परिशिष्ट-17

58

Financial Statement of CPS NP Chopal.

Year	Opening Balance	Receipt	Intt.	Total	Exp.	Closing Balance
2022-23	648082	167313	17994	833389	0	833389

Sr.No	Name of Employee	A/C No	Balance as per Pass Book as on 31.03.2022
1	Preeti Thakur Clerk	,04110110063538	49209
2	Anil Kumar Peon	,04110110060803	91298
3	Smt. Soda Devi	,04110110004708	692882.67
	Total		833389.67

Note: The Closing balance in respect of Smt Preeti Thakur, clerk has taken upto the date of Transfer Oct, 2022.

Secretary
Nagar Panchayat Chopal
Distt. Shimla, H.P.

Detail of advertisement expenditure incurred during the period 4/2022 to 03/2023

Voucher no & date	Amount	Detail of advertisement	Bill no & date	Name & address to whom advertisement given	Cash book page no	Remarks
13/8 dated 25.08.2022	2587/-	Publication of Election Street Venders in Nagar Panchayat Chopal	Bill.No-HP-1-2223-003882 Dt.29.07.2022	AMAR UJALA Ltd.	187	
3/10 Dt.06.10.2022	4582/-	Publication of Tenders	Bill No.-586 dt.15.09.2022	Sr. Editor ,Giriraj Weekly I&PR Deptt. Shimla-5	192	
4/12 Dt.12.12.2022	11340/-	Publication of Tenders.	Bill No-1005376989 dt.15.09.2022	The Hind Samachar Ltd.	197	
11/2 Dt.28.02.2023	12474/-	Publication of Tenders	Bill No-1005428847 Dt.20.01.2023	The Hind Samachar Ltd.	02 New Cash Book	

सचिव,
नगर पंचायत चौपाल,

69

फा-18 परिशिष्ट-19

Income tax, GST, Labour Cess & Royalty collected and deposited during the 4/22 to 03/2023

Name of Head	Amount collected (₹)					Total	Amount deposited (₹)	Less or excess amount deposited (₹)
	Income tax	SGST	CGST	Laboure cess	Royalty			
(SFC) (Renovation of Public Toilet Ward No4& 6	1345.27	1345.27	1345.27	1345.27	364.35	**5745.43**	Nil	**5745.43**
(SFC) (Renovation of Public Toilet Bus-Stand Ward No-3	809.07	809.07	809.07	809.07	0	**3236.28**	Nil	**3236.28**
(SFC) C/O Road Path Near Narsingh/Guga Peer Mandir Ward No-5	2650.31	2650.31	2650.31	2650.31	5031.60	**15632.84**	Nil	**15632.84**
(SFC) C/O Retaining Wall NearPradeep House Ward No-6	1001.62	1001.62	1001.62	1001.62	2920.05	**6926.53**	Nil	**6926.53**
(SFC) C/O Toe wall near oldage home Ward No.4	1249.41	1249.41	1249.41	1249.41	2764.65	**7762.29**	Nil	**7762.29**
(SFC)Retaining Wall Near Patwar Circle Ward No-3	4288.28	4288.28	4288.28	4288.28	10917.90	**27071.02**	Nil	**27071.02**
(CFC) R/M Nalla from GSSS Ground Towards Mandir Road Ward No-4 &6	4145.91	4145.91	4145.91	4145.91	10698.45	**27282.09**	Nil	**27282.09**
(CFC) R/M Nalla from Mandir Road towards Chopal –Nerwa Main Road Ward-4	3527.28	3527.28	3527.28	3527.28	8766.45	**22875.57**	Nil	**22875.57**
(SFC) Retaining Wall Near Bhagta House Ward No-4	3406.57	3406.57	3406.57	3406.57	6418.65	**20044.93**	Nil	**20044.93**
(SFC) R/Wall Near Rajesh House Ward No-7	2460.00	2460.00	2460.00	2460.00	7974.75	**17814.75**	Nil	**17814.75**
(CFC) C/O Drain Krishna House Towards SDM Residence Ward No-1	1629.72	1629.72	1629.72	1629.72	3040.80	**9559.68**	Nil	**9559.68**
(SFC) R/M of road GSSS Ground towards Sharma House Ward No-5	550.75	0	0	550.75	1466.85	**2568.35**	Nil	**2568.35**
(CFC) C/O Drain Sant Ram House Towards Culvert Ward No-1	551.20	0	0	551.20	1081.50	**2183.90**	Nil	**2183.90**
(DC Funds) C/O Retaining Wall Near Reena House Ward No-1	524.93	0	0	524.93	1096.62	**2146.48**	Nil	**2146.48**
(DC Funds) C/O Retaining Wall Near Neeta Devi House Ward No-1	523.07	0	0	523.07	1526.70	**2572.84**	Nil	**2572.84**
(SFC) R/M of Road Near S.I. Sharma House Towards Ram Lal Gagta House Ward-5	1029.96	1029.96	1029.96	1029.96	2575.65	**6695.49**	Nil	6695.49

सचिव,

(61)

(SFC) R/M Road Near Chet Ram House Towards Mast Ram Sharma House Ward No-[illegible]	1020.82	1020.82	1020.82	1020.82	2656.87	**6740.15**	Nil	**6740.15**
(CFC) C/O Drain Park Towards Bhagta House War No-4	1003.39	1003.39	1003.39	1003.39	1880.55	**5894.11**	Nil	**5894.11**
(SFC) Repair of Road Near DFO Office Ward No-4	1997.75	1997.75	1997.75	1997.75	4756.80	**12747.80**	Nil	**12747.80**
(CFC) C/O Drain Park towards Old age Home Ward No-4	361.50	0	0	361.50	1375.00	**2098.00**	Nil	**2098.00**
(SFC) R/M Road Tapinder Mehta House towards Hari Nand Mehta House Ward No-5	559.00	559.00	559.00	559.00	1840.00	**4076.00**	Nil	**4076.00**
(SFC)Painting of Secretary Residence Room in Rehan Basera Building Ward No-3	140.00	0	0	140.00	0	**280.00**	Nil	**280.00**
(SWM) C/O Shed above composting pits at Jungle Chopal.	2227.46	2227.46	2227.46	2227.46	0	**8909.84**	Nil	**8909.84**
(SFC) C/O Retaining Wall Near Lankarveer Mandir Ward No-7	1633.69	1633.69	1633.69	1633.69	5692.00	**12226.76**	Nil	**12226.76**
Total	**38636.96**	**35985.51**	**35985.51**	**38636.96**	**84846.19**	**234091.10**	**Nil**	**234091.10**

71